

सहकारिता विचारधारा का पूँजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

सार

पूँजीवाद व समाजवाद, इन दो राजनीतिक विचारधाराओं ने विश्व को दो गुटों में बाँट दिया है। समाजवाद सरकारी नियन्त्रण में रहकर व्यक्ति के कल्याण की बात करता है। वास्तव में दोनों विचारधाराओं में संघर्ष के कारण विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज का समाज शान्तिपूर्ण जीवन चाहता है। समाज को दोनों की ही व्यवस्थाओं में शान्ति नजर नहीं आती और न अपने हित सुरक्षित नजर आते हैं। आज उसे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अवसर की समानता, न्याय व आर्थिक हितों की रक्षा कर वर्ग भेद व शोषण को समाप्त कर सके। समाजवाद व पूँजीवाद के बीच की खाई को पारने में सहकारिता ही सफल हो सकती है। दोनों वादों की बुराई इस व्यवस्था को अपनाने से ही समाप्त हो सकती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य की समानता का अवसर उपलब्ध होता है। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र को अर्थिक महत्व दिया गया है। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। क्योंकि इस व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में हो जाता है, जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित व संचालित करते हैं। इसके सम्बन्ध में बाले व मीन्स ने लिखा है कि "संयुक्त राज्य के लगभग आधे उद्योग अनुमानतः दो हजार पूँजीपतियों द्वारा निर्देशित व नियन्त्रित है। इस व्यवस्था में गरीब अधिक व अमीर और अधिक अमीर होता जाता है। पूँजीवाद निम्नी सेवा को महत्व देता है। आज विश्व में अनेक आर्थिक व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं, उनमें से पूँजीवाद व समाजचाद मुख्य है। किसी भी देश की राजनैतिक विचारधारा के आधार पर हम वहाँ पर प्रचलित अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। पूँजीवादी विचारधारा को मानने वाले देशों पूँजीवाद अर्थव्यवस्था व समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है।" सहकारिता के अन्तर्गत पूँजीवाद समाजवाद दोनों का मिलाऊला रूप देखने को मिलता है। अतः सहकारिता पूँजीवाद व समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं वाले देशों में देखी जा सकती है। पूँजीवादी व्यवस्था शोषण व आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर टिकी हुई है तथा समाजवादी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रायः समाप्त हो जाती है। सहकारिता का ही मिश्रित रूप है, जो मानव को शोषण से मुक्त करा कर आर्थिक समानता या न्याय प्रदान करती है। सहकारिता दोनों का मुक्त कराकर आर्थिक समानता या न्याय प्रदान करती है तथा इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भी नहीं होता है। वास्तव में सहकारिता समाजवादी आदर्श की एक मात्र वास्तविक अभिव्यक्ति है।

शब्दकोश: सहकारिता, पूँजीवाद, समाजवाद, केन्द्रीकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सहकारी आन्दोलन का जन्म हुआ। यह प्रतिक्रिया शान्ति पूर्ण की। उसमें दुर्बल व्यक्तियों ने संगठित होकर शोषण के विरुद्ध कदम उठाया। इस समय सहकारिता के विकास का उद्देश्य शोषित समाज को संरक्षण प्रदान करना था। औद्योगिक क्रान्ति में शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ लेकिन कुछ उदारवादियों ने पूँजीवादी

* सह आचार्य – ई. ए. एफ. एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बॉदीकुर्झ, दौसा, राजस्थान।

व्यवस्था में ही सहकारिता का प्रारम्भ किया, जिसमें दुर्बल व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा कर सके तथा स्वावलम्बी हो सके। सर्वप्रथम रोबर्ट ओवन ने एक स्वावलम्बी समाज की कल्पना करते हुए श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया। जिसमें श्रमिकों को संगठित कर अपने पैरों पर खड़ा किया गया। सहकारिता का राजनैतिक उद्देश्य राजनीतिक चेतना जागृत करना है। सहकारिता ग्रामीण जनता में राजनैतिक चेतना जाग्रत करने में सफल भी रही है। सहकारी समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था प्रजातान्त्रिक आधार पर की जाती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। जिसके माध्यम से वह योग्य प्रबन्धक एवं संचालक मण्डल के सदस्यों का चयन करता है। सहकारिता ही राजनीति का पाठ पढ़ाती है तथा स्वायत्त शासन की शिक्षा प्रदान करती है। इसकी प्रबन्ध व्यवस्था सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। इसमें सरकारी हास्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार सहकारिता प्रजातन्त्र की नींव मजबूत करती है। आर्थिक, सामाजिक व सेवा उद्देश्य के साथ सहकारिता का नैतिक उद्देश्य भी है। यह समाज के नैतिक विकास के लिए कार्य करती है, इसमें निःस्वार्थ एवं समर्पण भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है बल्कि सेवा करना है। इसका उद्देश्य सदस्यों में सहयोग, भाई चारे तथा मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करता है। सहकारी आन्दोलन आवश्यक रूप से नैतिक है। यह भौतिक सम्पत्तियों के स्थान पर ईमानदारी एवं नैतिक दायित्व की भावना को प्रतिस्थापित करता है एवं इस बात का ध्यान रखता है कि भौतिक स्वीकृति की अपेक्षा नैतिक स्वीकृति पर ही अधिक ध्यान दिया जाये। समाज सुधरकों व धर्म प्रचारकों के प्रयासों के कारण समाज में चेतना जाग्रत हुई। कुछ व्यक्ति आगे बढ़े गौर उन्होंने निःस्वार्थ भाव से समान व स्वयं के हित के लिए संगठनों का निर्माण किया। ये व्यक्ति सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। इस प्रकार सच्चे व समर्पित सहकारों ने सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया। इन्होंने सहकारिता को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। कुछ धर्मिक व्यक्तियों ने इसे नैतिकता व धर्म से जोड़ा।

सहकारिता का प्रारम्भ मानव सभ्यता के प्रारम्भ से जुड़ा हुआ है। जब मानव जंगली अवस्था में था तभी ही उसे आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी, प्रारम्भिक अवस्था से ही व्यक्ति कठिनाई में सहयोग करने, साथ-साथ काम करने तथा साथ-साथ रहने की भावना से समूह बना कर रहने लगा था। जब मनुष्य में जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो सहकारिता की भावना और बढ़ी। मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के लिए तथा अपने प्रतियोगियों से सुरक्षित रहने के लिए समूहों में रहने लगा। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की वृद्धि के साथ ही सहयोग व सहकारिता की भावना भी बढ़ी है। सहकारिता एक संगठन है जो स्वभाव लम्बन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता, प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध तथा न्याय के आदर्श सिद्धान्तों पर आधारित है। सहकारियों के बीच सहयोग के सिद्धान्त के प्रतिपादन अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ के आयोग द्वारा सन् 1966 में किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार सभी सहकारी संस्थायें पारस्परिक सहयोग पर निर्भर हैं जिससे इन संस्थाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। सभी सहकारी संगठन स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से इसके सदस्यों को पूरा करते हैं। सहकारिता ने जहाँ आर्थिक क्षेत्र में लोगों को समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया है, वहाँ समाजिक क्षेत्र में समानता लाने में भी सहकारिता पीछे नहीं रही। सहकारिता सदैव सेवा भावना के उद्देश्य को लेकर चलती है। इसका उद्देश्य कमज़ोर वर्ग के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना, समाज में वर्ग संघर्ष की समाप्ति करना है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति करना, आपस में सहयोग व भाईचारे की भावना विकसित करना व सभी को अपनी उन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ओद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता ने मालिकों व श्रमिकों के मध्य व्याप्त तनाव दूर कर दिया गया व कृषकों व छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर उन्हीं क्रय शक्ति बढ़ाई है।

पूँजीवादी एवं समाजवादी विचारधारा

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य की समानता का अवसर उपलब्ध होता है। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है, क्योंकि इस व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में हो जाता है, जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित व संचालित करते हैं।

इसके सम्बन्ध में बार्ले व मीन्स लिखा है कि "संयुक्त राज्य के लगभग आधे उद्योग अनुमानतः दो हजार पूँजीपतियों द्वारा निर्देशित व नियन्त्रित है" इस व्यवस्था में गरीब अधिक गरीब व अमीर और अधिक अमीर होता जाता है। पूँजीवाद निजी सेवा को महत्व देता है, सार्वजनिक सेवा को नहीं। पूँजीवाद में 'न्याय के सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं है। इस व्यवस्था में व्यक्ति की सम्पत्ति आय व रोजगार अस्थायी, असमान व असुरक्षित है। इसमें सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। मूल्यों में अस्थिरता रहती है। पूँजीवाद में वर्ग संघर्ष निरन्तर बना रहता है। परस्पर गलाकार प्रतियोगिता के कारण सामूहिक संगठन व पारस्परिक सहयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार पूँजीवादी में व्याप्त बुराइयों ने इसका महत्व बहुत कम कर दिया है। पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें व्यापार व उद्योगों का संगठन व संचालन निजी साहस द्वारा केवल अपने लाभ के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में अर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है। इसमें एकाधिकारी मनमाने ढंग से उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं। निजी स्वामी स्वयं के लाभार्थ कार्य करता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे उपभोक्ता का शोषण हो।

समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों, पर समाज का अधिकार होता है। उत्पादन के समस्त साधनों का उपयोग सम्पूर्ण समाज के हित के लिए किया जाता है। सामाजिक कल्याण ही इसका सर्वोपरि लक्ष्य है। पूँजी व लाभ का इसमें विशेष महत्व नहीं है। समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रायः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति एक मरीन का पुर्जा बन जाता है। जो राज्य की इच्छानुसार संचालित होता है। समाजवाद में जहाँ व्यक्ति की रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है, वहाँ उस पर राज्य का नियन्त्रण बढ़ जाता है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो से वास्तविक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इस व्यवस्था में समस्त लाभ राज्य को प्राप्त होते हैं व्यक्तियों में कार्य के प्रति उत्साह नहीं रहता। समाजवाद में आर्थिक सत्ता राज्य के पास ही केन्द्रित रहती है। व्यक्तिगत इच्छा का इसमें कोई महत्व नहीं है। राज्य द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का पालन करना भी इसमें अनिवार्य होता है। इस प्रकार निजी साहसियों का मनोबल भी कम हो जाता है और अवसर की समानता भी पूँजीवाद की अपेक्षा कम ही मिल पाती है। जहाँ समाजवादी सामाजिक न्याय की डींग हाकते हैं वहाँ व्यक्ति दिन पर दिन राज्य का दास होता जाता है।

सहकारिता के क्षेत्र में इंग्लैण्ड विश्व का पथ-प्रदर्शक रहा है। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न कष्टदायक स्थितियों के कारण इंग्लैण्ड में सहकारिता का उदय हुआ। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व इंग्लैण्ड एक कृषि प्रधान राष्ट्र था। "देश की अधिकांश जनसंख्या गावों में निवास करती थी। उद्योग धन्धों का नितान्त अभाव था। जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि ही थी। कृषि में भी परम्परागत साधनों का प्रयोग किया जाता था। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति का समय सन् 1750 से 1850 तक का माना जाता है। सन् 1760 के पश्चात् इंग्लैण्ड में जो परिवर्तन हुए, वे साधारण नहीं थे। औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढँचा ही बदल दिया। आर्थिक, क्षेत्र में कृषि और उद्योग की उत्पादन प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। कृषि में यंत्रीकरण अपनाया गया। फलस्वरूप छोटे किसान बड़े किसानों से प्रतियोगिता नहीं कर पाये। फलस्वरूप भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जिन्हें कारखानों में मजदूर के रूप में कार्य करने को विवश होना पड़ा। यद्यपि औद्योगिक क्रान्ति के कारण "उत्पादन व सम्पत्ति में वृद्धि हुई परन्तु उसका लाभ सामान्य आदमी को प्राप्त नहीं हुआ। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक पूँजीपती वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। पूँजी व श्रम में नये सम्बन्धों में सूत्रपात हुआ। इनमें आत्मीयता कम हुई, दूरी बढ़ी और संघर्ष होने लगा। शोषण के कारण श्रमिकों की हालत शोचनीय थी। पेट भरना मुश्किल हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गयी। श्रमिक अपने को असहाय और अनाथ महसूस करने लगा और दरिद्रालयों की शरण में भी गया। उनकी दयनीय दशा का चित्रण करते हुये शार्प ने लिखा है कि "अब श्रमिक समपत्ति हीन, मुद्रा हीन तथा ग्रह हीन प्रतिहारी मात्र रह गये। श्रमिकों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी। उन्हें छोटी-मोटी बात पर कारखानों से निकाला जाने लगा तथा दण्डित किया जाने लगा।

इन कठोर परिस्थितियों में सुधार के अनेक प्रयास प्रारम्भ हुए। सन् 1802 में बच्चों की स्वारक्ष्य रक्षा के लिए एक कानून पास किया गया। श्रमिक वर्ग में व्यापक असन्तोष को दूर करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक

और औद्योगिक सुधारों की माँग होने लगी। सहकारी आन्दोलन जोर पकड़ने लगे "दयावान और दानवीर व्यक्तियों ने अपने—अपने क्षेत्र में मजदूरों की सहायता हेतु अनेक कार्य शुरू किये। श्रमिकों को सस्ती दर पर अनाज आदि आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करवाने के लिए दुकाने खोली गयी। मजदूरों ने स्वयं ने भी इसमें योगदान दिया। वे थोक में वस्तुएँ खरीद कर उन्हें सस्ती दर पर वितरित करने लगे। अपने सदस्यों और मजदूरों को सस्ती दर पर वस्तुएँ उपलब्ध करानी लगी। इस प्रकार सहकारिता का प्रारम्भ हुआ।

सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण

सहकारिता आन्दोलन स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है वह अकेला कार्य करता रहता है। लेकिन जब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि बिना सहयोग के कार्य नहीं होगा तो वह साथ मिलकर सहयोग कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सहकारिता की उत्पत्ति भी मानव की इसी विचारधारा के कारण हुई है।

- **शोषण से छुटकारा पाने के लिए** :— सहकारिता के प्रारम्भ का प्रमुख उद्देश्य छुटकारा पाने की इच्छा रही है। औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप समाज के कमजोर वर्ग कर अनेक प्रकार के शोषण होने लगा। इस शोषण से मुक्त होने की चाह ने ही सहकारिता की भावना को जन्म दिया। यह देखा गया कि समाज का सबल, वर्ग निर्बल वर्ग का हर तरह से तरह से शोषण करने का प्रयास करता है। यदि व्यक्ति अकेला है तो उसका शोषण होगा। लेकिन यदि कमजोर व्यक्ति एक संघ बनाते हैं तो उनमें शक्ति होगी और वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे।
- **मध्यस्थों की समाप्ति** — सहकारिता का उद्गम एवं विकास मध्यस्थों की समाप्ति के लिए हुआ है। उत्पादन का पैमाना बढ़ने के साथ—साथ उत्पादन में वितरण प्रक्रिया जटिल होती गयी। इसे सरल बनाने के लिए मध्यस्थों का जन्म हुआ।
- **शोषित वर्ग में चेतना जागृत करने के लिए** — अधिक शोषण के कारण समाज के शोषित वर्ग में यह सोच विकसित हुआ कि शोषण में बचने के लिए उन्हें संगठित होना पड़ेगा अन्यथा उनका शोषण होता रहेगा। इस प्रकार के चिन्तन के फलस्वरूप सहकारिता की भावना विकसित हुई तथा समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति संगठित हो कर पारस्परिक सहयोग से एक—दूसरे के हितों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार सामाजिक चेतना जागृत होने के कारण ही सहकारी विचारधारा का विकास होने लगा।
- **समर्पित सहयोग** :— समाज सुधारकों व धर्म प्रचारकों के प्रयासों के कारण समाज में चेतना जागृत हुई। कुछ व्यक्ति आगे बढ़े और उन्होंने निःस्वार्थ भाव से समाज व स्वयं के हित के लिए संगठनों का निर्माण किया। ये व्यक्ति सेवा भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे इस प्रकार सच्चे व समर्पित सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार यह आन्दोलन नैतिकता व जीवन दर्शन के रूप में आगे बढ़ा तथा इतने सच्चे, निःस्वार्थ एवं समर्पण भावना वाले कार्यकर्त्ताओं को जन्म दिया। इसके कारण यह आन्दोलन जन आन्दोलन बन पाया।
- **सरकारी सहयोग** — सहकारी आन्दोलन के विकास का एक कारण सरकारी सहयोग भी रहा है। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन की नीति को अपनाया। भारत में तो सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ व विकास सरकारी नीति के रूप में हुआ है। भारत में विभिन्न योजनाओं में सहकारिता के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किये जाते हैं। इस प्रकार यह आन्दोलन सरकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग के कारण ही आगे बढ़ा।
- **आर्थिक विकास के अवसर** :— हमारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसा होने से व्यक्ति को स्वयं के व समाज के विकास का अवसर उपलब्ध होगा। सहकारिता का उद्देश्यों ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें सेवाभावी व्यक्ति पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो ताकि वह समाज से जो कुछ प्राप्त करें उसका कई गुना अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज को दे सकें।

- सेवा में सहयोग** :— सहकारिता का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। यह सेवा भावना को ही ही साथ साथ लेकर चलती है। सेवा की भावना ही सहयोग की भावना बल देती है। सहकारी व्यवस्था में रहकर व्यक्ति सेवा व सहयोग की भावना सीखता है।
- आर्थिक सुरक्षा** :— सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता, उत्पादक, अमिक व सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा व न्याय प्रदान करना है। आर्थिक न्याय से प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में भागीदारी होनी चाहिए। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों के लाभ उनके द्वारा लगाई गयी श्रेणी पैंजी के अनुपात में न कर समिति को दिये गये संरक्षण के अनुपात में देना चाहिए। उस व्यवस्था में आर्थिक पैंजी वाला व्यक्ति आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जो आर्थिक समानता व न्याय का आधार है।

निष्कर्ष

वर्तमान युग में सहकारिता ही एक सच्चा व व्यवहारिक लोकतंत्र है जिससे मानवता का सर्वाधिक हित हो सकता है। विश्व को शान्ति व सहयोग की ओर ले जाने वाला मार्ग सहकारी मार्ग ही है। यह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा व समर्थन करता है। उसे शोषण से मुक्त कराकर परस्परिक सहयोग एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। सच्चे अर्थों में सहकारिता ने मानव जीवन के उच्च आदर्शों को अपनाया है। सहकारिता उच्च आदर्शों पर चलकर सहयोगपूर्वक रहने की एक कला है। सहकारिता पैंजीवाद व समाजवाद दोनों की विरोधी नहीं है, यह तो उनकी बुराइयों को शान्तिपूर्ण ढंग से मिटाने का साधन है। वास्तव में इसकी पहुँच दोनों ही अवस्थाओं की अपेक्षा गहरी है, क्योंकि वह मनुष्य की सामान्य व स्वाभाविक इच्छा को ही मध्यनजर रखे हुए हैं। यह मनुष्य की दर्दलता को सबलता में बदलने की प्रेरणा देती है उसको जीने के अवसर उपलब्ध कराती है। सहकारिता में समाजवाद व पैंजीवाद दोनों के गुणों का समावेश मिलता है। इसके अलावा इन दोनों में व्याप्त दोष भी इस व्यवस्था में समाप्त हो जाते हैं। पैंजीवाद की तरह सहकारिता में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है, निजी सम्पत्ति तथा कार्यानुसार लाभांश मिलने के कार्य के लिए उत्साह भी है। समाजवाद की तरह इसमें अवसर की समानता, आय व सम्पत्ति का उचित वितरण, कल्याण आदि लक्षण आते हैं। इन गुणों के आधार पर सहकारिता दोनों के बीच का मध्य मार्ग कहना उचित प्रतीत होता है। सहकारिता में शोषण की प्रवृत्ति का अन्त किया जाता है। इसके अन्तर्गत पारस्परिक सहायता के द्वारा आत्म सहायता होने के कारण शोषण की प्रवृत्ति का अन्त किया जाता है। सहकारिता आन्दोलन निर्धन व्यक्ति को शक्तिशाली और सम्पन्न वर्ग द्वारा किये गये शोषण से मुक्त करने का अति उत्तम संगठन प्रस्तुत करता है और इस प्रकार सामाजिक, न्याय की वृद्धि के लिए एक साधन है। भारत में ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नीतिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आशवस्त किया गया है। राज्य नीति के प्रसंग के रूप में स्पष्ट मान्यता देनी चाहिए। अतः भारत के लिए इस विषय स्थिति में सहकारिता ही एक मात्र रास्ता बचा है। जो समाजवाद की खोखली व दिखाऊ नीतियों से हटकर वास्तविकता पर आधारित है और पैंजीवाद शोषण के स्थान पर आधारित है और पैंजीवादी शोषण के स्थान पर समानता, न्याय, प्रजातंत्र, शोषण से मुक्ति आदि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सहकारिता का उद्देश्य सेवा करना है, लाभ कमाना सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ग्रामीण विकास एवं सहकारिता: डॉ. एच आर स्वामी, डॉ. बी. डी. गुप्ता, आर बी.डी. पब्लिकेशन, जयपुर
- सहकारिता : डॉ. बी एस माथुर, साहित्य भवन
- सहकारिता कानून और नियम: राज. सहकार राजस्थान सरकार
- सहकारिता देश और विदेश में: डॉ.अम्बिका प्रसाद गुप्ता, उ.प्र. हिन्दी संस्थान
- सहकारिता का महत्व एवं सार्थकता: डॉ. गुलाब सिंह आजाद
- सहकारिता—समृद्धि और प्रगति: श्री राम आचार्य
- मैगजीन: इण्डिया टुडे, योजना
- न्यूज पेपर: राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर

